

असाधारण

### **EXTRAORDINARY**

भाग Ⅲ—खण्ड 4

**PART III—Section 4** 

प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 160] No. 160] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 25, 2017/वैशाख 5, 1939

NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 25, 2017/VAISAKHA 5, 1939

## विदेश मंत्रालय

(विश्व मामलों की भारतीय परिषद)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 अप्रैल, 2017

एफ सं. आई.सी.डब्ल्यू.ए./एडिमन./551/24/2012.—भारतीय वैश्विक मामले अधिनियम, 2001 (2001 का 29) की धारा 26 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद, भारतीय वैश्विक मामले परिषद में विभिन्न पदों की भर्ती की पद्धित का विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

- 1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारम्भ.**—(1) इन विनियमों को भारतीय वैश्विक मामले परिषद, भर्ती नियम, 2017 कहा जाए।
  - (2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- 2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में लेवल.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण एवं वेतन मैट्रिक्स में लेवल, उक्त अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।
- 3. भर्ती पद्धति.—आयु सीमा, योग्यता इत्यादि :— (1) उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता एवं अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथा विनिर्दिष्ट होंगे।
- 4. **अयोग्यता.**—कोई भी व्यक्ति
  - (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसका जीवित पति /पत्नी है, या
  - (ख) जिसने जीवित पत्नी / पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है, परिषद में उक्त पदों पर नियुक्ति के लिए अयोग्य होगा
  - बशर्ते कि परिषद, यदि संतुष्ट होता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति एवं दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत विवाह करने के लिए अनुमेय है तथा कि वहां ऐसा विवाह करने के लिए अन्य कारण भी हैं, तो इस विनियम के प्रभाव से अमुख व्यक्ति को छूट दे सकते हैं।
- 5. **छूट प्रदान करने की शक्ति.**—जहां महानिदेशक का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह वित सलाहकार की स्वीकृति से, आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए किसी पद के संबंध में इन विनियमों के किसी प्रावधान से छूट प्रदान कर सकते हैं।
- 6. बचाव.—इन नियमों में कोई भी बात इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों तथा व्यक्तियों के अन्य विनिर्दिष्ट वर्गों के लिए अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

2724 GI/2017 (1)

# अनुसूची

पदनाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद अथवा गैर चयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु की सीमा	सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य योग्यता	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता तथा आयु पदोन्नत व्यक्ति के मामले में भी लागू होगी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.लेखा अधिकारी	1* (2017) *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर	सामान्य केन्द्रीय सेवा श्रेणी 'ख' राजपत्रित, गैर मंत्रालयी	लेवल 8	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं ।

परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका चाहे सीधी भर्ती अथवा पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा हो तथा विभिन्न तरीकों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/विलयन किया जाना है।	यदि विभागीय पदोन्नित समिति मौजूद है तो इसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	पदोन्नित द्वारा, असफल होने पर, नियंत्रक महालेखा, वित्त मंत्रालय की संगठित लेखा सेवा से प्रतिनियुक्ति पर स्थानानंतरण द्वारा	पदोन्नित द्वारा : सहायक लेखाकार जिसका वेतन मैट्रिक्स में लेवल 6 है तथा वे इस ग्रेड में 6 वर्षों से नियमित सेवा में हैं। नोट:—जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक एवं पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नित के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नित के लिए विचारणीय होंगे बशर्तें कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा की अविध के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम ना हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नित के लिए अपनी परीवीक्षा अविध अपने किनष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने उतनी अर्हक / पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। प्रितिनयुक्ति द्वारा :— केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारी :  (क) (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (ii) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 6 अथवा समकक्ष पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में पांच वर्षों की नियमित सेवा सहित; अथवा (मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 6 अथवा समकक्ष पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में छः वर्षों की नियमित सेवा सहित; ग्रेड में छः वर्षों की नियमित सेवा सहित;); एवं	शाामल ह : (i) महानिदेशक, विश्व मामलों की भारतीय परिषद —अध्यक्ष (ii) उप महानिदेशक, विश्व मामलों की भारतीय परिषद —सदस्य (iii) निदेशक, विदेश मंत्रालय —सदस्य	लागू नहीं

(ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताओं में से कोई एक अर्हकता रखने वाले :  (i) केन्द्र सरकार के किसी भी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा या समकक्ष परीक्षा में पास;  (ii) आईएसटीएम के नकद एवं लेखा कार्य में सफल प्रशिक्षण पाठ्यकम या नकद, लेखा एवं बजट कार्य में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव (यदि वेतन मैट्रिक्स में लेवल 8 है, तो चार वर्ष का अनुभव)।  नोट 1: संभरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जोकि परोन्नित की सीधी श्रृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नित की त्रारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे।  नोट 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या कंन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि नहीं होंगे।  प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के अधिक नहीं होंगे।  प्रतिनियुक्ति होरा नियुक्ति के लिए अधिकन्तम			
(i) केन्द्र सरकार के किसी भी संगठित लेखा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा या समकक्ष परीक्षा में पास; (ii) आईएसटीएम के नकद एवं लेखा कार्य में सफल प्रशिक्षण पाद्यकम या नकद, लेखा एवं बजट कार्य में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव (यदि वेतन मैट्रिक्स में लेवल 8 है, तो चार वर्ष का अनुभव)।  नोट 1: संभरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जोकि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के अवधि इसमें उसी या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि का विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि मी सम्मिलित है, तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।  प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकत्तम			
विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा या समकक्ष परीक्षा में पास; (ii) आईएसटीएम के नकद एवं लेखा कार्य में सफल प्रशिक्षण अथवा समकक्ष प्रशिक्षण पाठ्यकम या नकद, लेखा एवं बजट कार्य में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव (यदि वेतन मैट्रिक्स में लेवल 8 है, तो चार वर्ष का अनुभव)।  नोट 1: संभरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जोंकि पदोन्नित की सीधी श्रृंखला में हैं वे प्रतिनियुवित पर नियुवित हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुवित वाले भी पदोन्नित द्वारा नियुवित हेतु विचाणीय नहीं होंगे।  नोट 2: प्रतिनियुवित की अवधि इसमें उसी या कंन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुवित से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गेर संवर्ग पद में प्रतिनियुवित की अवधि कन्द्री से अधिक नहीं होंगी।  प्रतिनियुवित द्वारा नियुवित के लिए अधिकत्तम		•	
समकक्ष परीक्षा में पास; (ii) आईएसटीएम के नकद एवं लेखा कार्य में सफल प्रशिक्षण अथवा समकक्ष प्रशिक्षण पाउयकम या नकद, लेखा एवं बजट कार्य में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव (यदि वेतन मैट्रिक्स में लेवल 8 है, तो चार वर्ष का अनुभव)।  नोट 1: संभरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जोंकि पदोन्नित की सीधी श्रृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नित द्वारा नियुक्ति हेतु विचाणीय नहीं होंगे।  नोट 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि क नहीं होगे।  प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकनम			
(ii) आईएसटीएम के नकद एवं लेखा कार्य में सफल प्रशिक्षण अथवा समकक्ष प्रशिक्षण पाठ्यकम या नकद, लेखा एवं बजट कार्य में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव (यदि वेतन मेट्रिक्स में लेवल 8 है, तो चार वर्ष का अनुभव)।  नोट 1: संभरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जोिक पदोन्नित की सीधी श्रृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नित द्वारा नियुक्ति हेतु विचाणीय नहीं होंगे।  नोट 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि का समिनिक्ति है, तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकत्तम		विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा या	
सफल प्रशिक्षण अथवा समकक्ष प्रशिक्षण पाठ्यकम या नकद, लेखा एवं बजट कार्य में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव (यदि वेतन मेंट्रिक्स में लेवल 8 है, तो चार वर्ष का अनुभव)।  नोट 1: संभरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जोकि पदोन्नित की सीधी श्रृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नित द्वारा नियुक्ति हेतु विचाणीय नहीं होंगे।  नोट 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित की अवधि भी सम्मिलित है, तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकत्तम		समकक्ष परीक्षा में पास;	
पाठ्यकम या नकद, लेखा एवं बजट कार्य में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव (यदि वेतन मेंद्रिक्स में लेवल 8 है, तो चार वर्ष का अनुभव)।  नोट 1: संभरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जोिक पदोन्नित की सीधी श्रृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्निति द्वारा नियुक्ति हेतु विचाणीय नहीं होंगे।  नोट 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि नहीं होगी।  प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकत्तम		(ii) आईएसटीएम के नकद एवं लेखा कार्य में	
कम से कम तीन वर्ष का अनुभव (यदि वेतन मैट्रिक्स में लेवल 8 है, तो चार वर्ष का अनुभव)।  नोट 1 : संभरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जोंकि पदोन्नित की सीधी श्रृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नित द्वारा नियुक्ति हेतु विचाणीय नहीं होंगे।  नोट 2 : प्रतिनयुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनयुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।  प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकत्तम		सफल प्रशिक्षण अथवा समकक्ष प्रशिक्षण	
मैट्रिक्स में लेवल 8 है, तो चार वर्ष का अनुभव)।  नोट 1: संभरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जोिक पदोन्नित की सीधी श्रृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नित द्वारा नियुक्ति हेतु विचाणीय नहीं होंगे।  नोट 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या कंन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि नहीं होगी।  प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकत्तम		पाठ्यक्रम या नकद, लेखा एवं बजट कार्य में	
अनुभव)।  नोट 1: संभरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जोकि पदोन्नित की सीधी श्रृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्निति द्वारा नियुक्ति हेतु विचाणीय नहीं होंगे।  नोट 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकत्तम		कम से कम तीन वर्ष का अनुभव (यदि वेतन	
नोट 1 : संभरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जोकि पदोन्नित की सीधी श्रृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नित द्वारा नियुक्ति हेतु विचाणीय नहीं होंगे। नोट 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकत्तम		मैट्रिक्स में लेवल 8 है, तो चार वर्ष का	
जोिक पदोन्नित की सीधी श्रृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नित द्वारा नियुक्ति हेतु विचाणीय नहीं होंगे।  नोट 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सिम्मिलित है, तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।  प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकत्तम		अनुभव)।	
प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नित द्वारा नियुक्ति हेतु विचाणीय नहीं होंगे। नोट 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकत्तम		नोट 1 : संभरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी	
होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचाणीय नहीं होंगे।  नोट 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।  प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकत्तम		जोकि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में हैं वे	
पदोन्नित द्वारा नियुक्ति हेतु विचाणीय नहीं होंगे।  नोट 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।  प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकत्तम			
होंगे। नोट 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलत है, तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकत्तम			
नोट 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकत्तम			
केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकत्तम		• •	
विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकत्तम		नोट 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या	
किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकत्तम			
अवधि भी सम्मिलित है, तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकत्तम		विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित	
नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकत्तम			
प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकत्तम			
आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को			
56 वर्षों से अधिक नहीं होगी।		56 वर्षो से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. सहायक लेखाकार	1* (2017)  * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर	श्रेणी 'ख'	लेवल 6	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती हैं) नोट :— आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, लाहौल और स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
अनिवार्य : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय	लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके ना होने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा :— केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारी :—	विभागीय पदोन्नति समिति (चयन एवं स्थायीकरण के लिए)	लागू नहीं

या संस्थान से	(क) (1) मूल संवर्ग या विभाग में	(1) महानिदेशक,
	2 1 2 1 9	
कामर्स में स्नातक	नियमित आधार पर समरूप पदधारण	भारतीय वैश्विक मामले
डिग्र <u>ी</u>	करने वाले; अथवा	परिषद – अध्यक्ष
वांछनीय :	(2) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन	(2) उप महानिदेशक,
(1) कम्प्यूटर	मैट्रिक्स के लेवल 5 अथवा समकक्ष	भारतीय वैश्विक मामले
अनुप्रयोग में	पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के	परिषद – सदस्य
सर्टिफिकेट कोर्स;	उपरांत ग्रेड में छह वर्षों की नियमित	(3) निदेशक, विदेश
(2) लेखा	सेवा सहित; अथवा	मत्रालय – सदस्य
सॉफ्टवेयर (टेली	(3) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन	
आदि) में	मैट्रिक्स के लेवल 4 अथवा समकक्ष	
सर्टिफिकेट कोर्स	पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के	
साटाफकट कास	उपरांत ग्रेड में आठ वर्षों की नियमित	
	सेवा सहित; तथा	
	(ख) कॉलम (७) में सीधी भर्ती के लिए	
	निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं रखने वाले	
	नोट 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें	
	उसी या केन्द्रीय सरकार के किसी	
	अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति	
	से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर	
	संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी	
	सम्मिलित है, तीन वर्षों से अधिक नहीं	
	होगी।	
	नोट 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के	
	लिए अधिकत्तम आयु सीमा आवेदन	
	प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्षों से	
	अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. सहायक (सूचना प्रौद्योगिकी)	1* (2017)  * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर	श्रेणी 'ख'	लेवल 6	लागू नहीं	30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) नोट :— आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, लाहौल और स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
अनिवार्य : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कम्प्यूटर अनुप्रयोग या सूचना प्रौद्यिगिकी या कम्प्यूटर विज्ञान में स्नातक डिग्री	लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके ना होने पर सीधी भर्ती द्वारा	प्रतिनियुक्ति द्वारा :- केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारी :- (क) (1) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 5 अथवा समकक्ष पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में छह वर्षों की नियमित सेवा सहित; अथवा	विभागीय पदोन्नति समिति (चयन एवं स्थायीकरण के लिए) (1) महानिदेशक, भारतीय वैश्विक मामले परिषद – अध्यक्ष (2) उप महानिदेशक, भारतीय वैश्विक मामले परिषद – सदस्य (3) निदेशक, विदेश मंत्रालय – सदस्य	लागू नहीं।

(ख) कॉलम (७) में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं रखने वाले नोट 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। नोट 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकत्तम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्षों से अधिक नहीं होगी।	
--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. प्रवर श्रेणी लिपिक	1* (2017)	श्रेणी 'ग'	लेवल ४	अचयन	18 से 27 वर्ष के बीच
	<ul><li> * इसमें परिवर्तन</li></ul>				(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों या
	कार्यभार पर निर्भर				आदेशों के अनुसार सरकारी
	4/14/11/ 1/ 11/1/				सेवकों के लिए 40 वर्ष तक
					शिथिल की जा सकती है)

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
(7) लागू नहीं	(8) लागू नहीं	(9) शृन्य	(10) पदोन्नित द्वारा जिसके ना होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	पदोन्नित : ग्रेड में आठ वर्षों की सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के लेवल-2 में अवर श्रेणी लिपिक नोट :- जिन किनष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक एवं पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नित के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नित के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा	(12) विभागीय पदोन्नति समिति / चयन समिति (1) उप महानिदेशक, भारतीय वैश्विक मामले परिषद – अध्यक्ष (2) संयुक्त सचिव, भारतीय वैश्विक मामले परिषद – सदस्य (3) निदेशक, विदेश मंत्रालय – सदस्य	(13) लागू नहीं।
				अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम ना हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नित के लिए अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने उतनी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है। नोट 1: भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जोिक पदोन्नित की सीधी श्रृंखला में हैं वे प्रतिनियुक्ति पर		
				नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचाणीय नहीं होंगे। नोट 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि इसमें उसी या केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।		

निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

				लिए अधिकत्त	नियुक्ति द्वारा नियुक्ति के 1म आयु सीमा आवेदन तेम तिथि को 56 वर्षों से 1गी।
(1) 5. अवर श्रेणी लिपिक	(2) 2* (2017) * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर	(3) श्रेणी 'ग'	(4) लेवल 2	(5) अचयन	(6)  18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) नोट :— आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, लाहौल और स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
अनिवार्य :	आयु : नहीं	दो वर्ष	(1) 50 प्रतिशत	पदोन्नति :	विभागीय पदोन्नति	लागू नहीं।
(1) किसी मान्यता	शैक्षिक योग्यता		सीधी भर्ती	ग्रेड में तीन वर्षों की सेवा सहित वेतन	समिति (चयन एवं	
प्राप्त बोर्ड या	ः हां		द्वारा; तथा	मैट्रिक्स के लेवल—1 में मल्टी टास्किंग	स्थायीकरण के	
विश्वविद्यालय से			(२) ५० प्रतिशत	स्टाफ जोकि कॉलम (७) के अंतर्गत सीधी	लिए)	
बारहवीं कक्षा उतीर्ण			पदोन्नति द्वारा	भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं	(1) उप	
अथवा समकक्ष				रखते हैं।	महानिदेशक,	
वाछनीय :				नोट :– जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने	भारतीय वैश्विक	
कम्प्यूटर अनुप्रयोग				अपनी अर्हक एवं पात्रता सेवा पूरी कर ली	मामले परिषद –	
सर्टिफिकेट कोर्स				है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं।	अध्यक्ष	
				उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के	(2) संयुक्त सचिव,	
				लिए विचारणीय होंगे बशर्तें कि उनके लिए	भारतीय वैश्विक	
				अपेक्षित अर्हक / पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित	मामले परिषद –	
				अर्हक / पात्रता सेवा की अवधि के आधे से	सदस्य	
				न्यून या दो वर्ष से कम ना हो और उन्होंने	(3) निदेशक,	
				आँगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए	विदेश मंत्रालय –	
				अपनी परीवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ	सदस्य	
				अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी		
				कर ली हो, जिन्होंने उतनी अहेंक / पात्रता		
				सेवा पहले ही पूरी कर ली है।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. मल्टी टास्किंग स्टाफ	14* (2017)  * इसमें  परिवर्तन  कार्यभार पर निर्भर	श्रेणी 'ग'	लेवल 1	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष के बीच नोट :— आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मिणपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, लाहौल और स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
किसी मान्यता	लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा :	लागू नहीं	विभागीय पदोन्नति समिति	लागू नहीं।
प्राप्त बोर्ड से			<b>नोट</b> ः पदाधिकारी		(चयन एवं स्थायीकरण के लिए)	
दसवीं कक्षा			के प्रतिनियुक्ति		(1) उप महानिदेशक, भारतीय	
उतीर्ण अथवा			पर होने या लम्बी		वैशिवक मामले परिषद – अध्यक्ष	
समकक्ष			बीमारी या		(2) संयुक्त सचिव, भारतीय	
			अध्ययन अवकाश		वैश्विक मामले परिषद – सदस्य	
			या अन्य किन्हीं		(3) निदेशक, विदेश मंत्रालय –	
			परिस्थितियोंवश		सदस्य	
			एक वर्ष या			

<u></u>	
	अधिक की अवधि
	के लिए जाने के
	कारण उत्पन्न हुईं
	रिक्तियों को
	केन्द्रीय सरकार के
	अधिकारियों से
	प्रतिनियुक्ति
	आधार पर भरा
	जा सकता है–
	(क) नियमित
	आधार पर समरूप
	पदधारकः; तथा
	(ख) कॉलम (७)
	के अंतर्गत सीधी
	भर्ती के लिए
	निर्धारित योग्यताएं
	रखने वाले।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) 8. पुस्तकालय सहायक	(2) 2* (2017)  * इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर	(3) श्रेणी 'ख'	(4) लेवल 6	(5) लागू नहीं	(6) 30 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) नोट :— आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, लाहौल और स्पीति जिले तथा हिमाचल प्रदेश के चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के
					लिए विहित की गई है।

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
अनिवार्य : (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से पुस्तकालय या पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक डिग्री (2) केन्द्रीय या राज्य सरकार या स्वायत्त या साविधिक संस्थान या पब्लिक सैक्टर उपक्रम या विश्वविद्यालय या मान्यताप्राप्त अनुसंधान या शैक्षिक संस्थान के अंतर्गत किसी पुस्तकालय में दो वर्षीय वृत्तिक अनुभव	आयु : नहीं शैक्षिक योग्यता : हां	सीधी भर्ती के लिए दो वर्ष	(1) 50 प्रतिशत पदोन्नित द्वारा; तथा (2) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत पदोन्नित द्वारा	पदोन्नित :  ग्रेड में दस वर्षों की सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के लेवल—4 में अर्ध वृत्तिक पुस्तकालय सूचना सहायक जोकि कॉलम (7) के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखते हैं। प्रतिनियुक्ति द्वारा :— केन्द्रीय सरकार के अंतर्गत निम्नलिखत अधिकारी :— (क) (1) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) मूल संवर्ग या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के लेवल 5 अथवा समकक्ष पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में छह वर्षों की नियमित सेवा सहित; अथवा (ख) कॉलम (7) में सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले नोट 1 : प्रतिनियुक्ति की अविध इसमें उसी या केन्द्रीय सरकार के	विभागीय पदोन्नित समिति (चयन एवं स्थायीकरण के लिए) (1) महानिदेशक, भारतीय वैश्विक मामले परिषद — अध्यक्ष (2) उप महानिदेशक, भारतीय वैश्विक मामले परिषद — सदस्य (3) निदेशक, विदेश मंत्रालय — सदस्य	ल मूर् नहीं ।

वांछनीय :	किसी अन्य संगठन या विभाग में
(1) किसी मान्यता	इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित
प्राप्त	किसी अन्य गैर संवर्ग पद में
विश्वविद्यालय या	प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित
संस्थान से	है, तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी।
कम्प्यूटर अनुप्रयोग	नोट 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति
में डिप्लोमा	के लिए अधिकत्तम आयु सीमा
	आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्षों से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. अर्ध वृत्तिक	3* (2017)	श्रेणी 'ग'	लेवल ४	लागू नहीं	लागू नहीं
सहायक (पुस्तकालय	, ,				
सूचना)	<ul> <li>         * इसमें पिरवर्तन     </li> </ul>				
	कार्यभार पर निर्भर				

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
अनिवार्य :	लागू नहीं	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा	नोट : पदाधिकारी	विभागीय पदोन्नति	लागू नहीं।
किसी मान्यताप्राप्त				के प्रतिनियुक्ति पर	समिति (चयन एवं	
विश्वविद्यालय या				होने या लम्बी	स्थायीकरण के	
संस्थान से				बीमारी या अध्ययन	लिए)	
पुस्तकालय विज्ञान				अवकाश या अन्य	(1) उप	
या पुस्तकालय एवं				किन्हीं	महानिदेशक,	
सूचना विज्ञान में				परिस्थितियोंवश	भारतीय वैश्विक	
स्नातक डिग्री				एक वर्ष या अधिक	मामले परिषद –	
				की अवधि के लिए	अध्यक्ष	
वांछनीय :				जाने के कारण	(2) संयुक्त सचिव,	
(1) पुस्तकालय एवं				उत्पन्न हुईं	भारतीय वैश्विक	
सूचना विज्ञान के				रिक्तियों को	मामले परिषद –	
क्षेत्र में तीन वर्षीय				केन्द्रीय सरकार के	सदस्य	
अनुभव ; तथा				अधिकारियों से	(3) निदेशक,	
(2) कम्प्यूटर एवं				प्रतिनियुक्ति आधार	विदेश मंत्रालय –	
पुस्तकालय				पर भरा जा सकता	सदस्य	
सॉफ्टवेयर का				है—		
ज्ञान				(क) नियमित		
				आधार पर समरूप		
				पदधारक; तथा		
				(ख) कॉलम (७) के		
				अंतर्गत सीधी भर्ती		
				के लिए निर्धारित		
				योग्यताएं रखने		
				वाले।		

अजनीश कुमार, उप महानिदेशक [विज्ञापन III/4/असा./25/17]

## MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(Indian Council of World Affairs)

# **NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th April, 2017

**F. No. ICWA/Admn/551/24/2012.**—In exercise of the Powers conferred by sub-section (1) of section 26 of the Indian Council of World Affairs Act, 2001 (29 of 2001), the Council hereby makes the following regulations, regulating the method of recruitment to various posts in the Indian Council of World Affairs, namely:—

- 1. **Short title and commencement.—**(1) These regulations may be called the Indian Council of World Affairs, Recruitment Regulations, 2017.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Number of Posts, Classification and Level in the Pay Matrix.**—The number of the said posts, their classifications and the Level in the Pay Matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the schedule.
- 3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—**(1) The method of recruitment, age limit, qualification and other matters to the said posts, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. **Disqualification.**—No person,—
  - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage, with any person, shall be eligible for appointment to said posts in the Council:

Provided that the Council may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.

- 5. **Power to relax.**—Where the Director General is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may, with the approval of the Financial Advisor, by order for reasons to be recorded in writing, relax any of its provisions of these regulations with respect to any post.
- 6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ExServicemen and other specified categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

### **SCHEDULE**

Name of	Number of	Classification	Level	Whether	Age limit	Educational and	Whether age and
Post	post		in pay	Selection	for direct	other	educational
			Matrix	post or	recruits	qualifications	qualifications
				non-		required for	prescribed for direct
				Selection		direct recruits	recruits will apply in
				post			case of promotees
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						(1)	(0)
1.Accounts	(2017)	General	Level 8	Not	Not	Not applicable	Not applicable
Officer	* Subject	Central		applicable	applicable		
	to variation	Service, Group					
	dependent	'B' Gazetted,					
	on workload	Non					
	workioad	Ministerial					

Period of	Method of	In case of recruitment by promotion/	If a Departmental	Circumstances in
probation,	recruitment	deputation/ absorption grades from	Promotion Committee	which Union
if any	whether by	which promotion/ deputation/	exists what is its	Public Service
	direct	absorption to be made	composition	Commission is to
	recruitment or			be consulted in
	by promotion or			making
	by deputation/			recruitment
	absorption and			
	percentage of			
	the vacancies to			
	be filled by			
	various methods			
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not	By promotion,	By promotion:	Departmental Promotion	Not Applicable
applicable	failing which,	Accounts Assistant in Level 6 in the Pay	Committee (for	
	by transfer on	-	considering selection or	
	deputation from	Matrix with six years regular service in	confirmation) consisting	
	Organised	the grade.	of:-	

Accounting Service of Controller General of Accounts, Ministry of Finance. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**By deputation –** officers of the Central Government;

- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department or (ii) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 6 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; (with six years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level 6 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department); and
- (b) possessing any one of the following qualifications:-
- (i) A pass in the subordinate accounts service or equivalent Exam conducted by any of the Organised Accounts Departments of the Central Government;
- (ii) Successful training in the Cash and Accounts Work in the ISTM or equivalent training course or minimum of three years of experience (four years, if the post is in Level 8 in the Pay Matrix) in Cash, Accounts and Budget work.
- **Note 1:** The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion,.

**Note2**: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or other organisation/Department of the Central Government shall not exceed three years).

- (i). Director General, Indian Council of World Affairs – Chairman,
- (ii). Deputy Director General, Indian Council of World Affairs – Member.
- (iii). Director, Ministry of External Affairs Member.

The maximum age limit for appointment by deputation shall be not	
exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.Accounts Assistant		Group 'B'	Level 6	Not applicable	Not exceeding 30 years  (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)  Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Essential:  (i) Bachelor's Degree in Commerce from a recognised University or Institute  Desirable:  (i) Certificate course in Computer Applications;  (ii) Certificate course in Accounting software (Tally, etc).	Not applicable	Two years for direct recruits	Deputation failing which, by direct recruitment	Officers under the Central Government:-  (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or  (ii) With six years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Level 5 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; or  (iii) with eight years' regular service in the grade rendered after appointment thereto in Level 4 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and  (b) possessing the educational qualification prescribed for direct recruits in column (7)  Note 1: Period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the Central Government shall not exceed three years.  Note 2: The maximum age limit for appointment by	Departmental Promotion Committee (for considering selection or confirmation) consisting of:-  (i). Director General, Indian Council of World Affairs — Chairman,  (ii). Deputy Director General, Indian Council of World Affairs — Member,  (iii). Director, Ministry of External Affairs — Member.	Not Applicable

	deputation shall not exceed	
	56 years as on the last date	
	of receipt of application.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. Assistant (Information Technology)	1* (2017)  *Subject to variation dependent on workload	Group 'B'	Level 6	Not applicable	Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman Nicobar Islands or Lakshadweep).	Essential:  (i) Bachelor's Degree in Computer Applications or Information Technology or Computer Science of a recognised University or Institute

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Two years for direct recruits	Deputation failing which by direct recruitment	Deputation:  Officers under the Central Government:-  (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or  (ii) With six years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in posts in Level 5 in the Pay Matrix or equivalent in the parent cadre or department; and  (b) possessing the educational qualification prescribed for direct recruits under column (7)  Note 1: Period of deputation including period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or department of the Central Government	General, Indian Council of World Affairs – Member,  (iii). Director, Ministry of External Affairs – Member.	Not Applicable

shall not exceed three years.	
Note 2: The maximum agelimit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the last date of receipt of application.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Upper	1* (2017)	Group 'C'	Level 4	Non-selection	Between 18 and 27 years
Division					(relaxable for Government
Clerk	* Subject to variation				servants up to 40 years in accordance with the
	dependent on workload				instructions or orders issued by the Central Government.)

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable	Not applicable	Nil	Promotion failing which by deputation	Promotion: Lower Division Clerk in Level 2 in the Pay Matrix with eight years service in the grade	Departmental Promotion Committee/Selection Committee:	Not Applicable
				Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.	i. Deputy Director General, Indian Council of World Affairs - Chairman ii. Joint Secretary, Indian Council of World Affairs – Member iii. Director, Ministry of External Affairs – Member	
				Deputation:		
				Officers under the Central Government:-		
				(a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or		
				(ii) with eight years regular service in the grade of Lower Division Clerk or equivalent.		
				Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		
				<b>Note 2:</b> Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held		

immediately preceding this appointment in the same or some other Organization or department of the Central Government shall not exceed three years.
Note 3: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the last date of receipt of application.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Lower Division Clerk	2* (2017)  * Subject to variation dependent on workload	Group 'C'	Level 2	Non - selection	Between 18 and 27 years (relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.)
					Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Essential:	Age: No	Two	(i) 50% by	Promotion:	Departmental	Not
12 <sup>th</sup> class pass or equivalent qualification from a recognised Board or	Educational Qualifications : Yes	years	direct recruitment; and  (ii) 50% by promotion	Multi Tasking Staff in Level 1 in the Pay Matrix with three years service in the grade who possess the educational qualifications prescribed for direct recruits under column (7)	Promotion Committee (for considering selection or confirmation) consisting of :-	Applicable
University  Desirable:				<b>Note:</b> Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior	i. Deputy Director General, Indian Council of World Affairs – Chairman,	
Certificate course in Computer Applications				would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher	ii. Joint Secretary, Indian Council of World Affairs – Member,  iii. Director,	

			juniors	along with who have al d such qualifyi y service.	ready	Ministry of External Affairs – Member.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
6. Multi Tasking Staff	14* (2017) * Subject to variation	Group 'C'	Level 1	Not applicable	Note:	een 18 and 25 years  The crucial date for determining ge-limit shall be the closing date

for receipt of applications from candidates in India (and not the closing

date prescribed for those in Assam,

Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh,

Nicobar

Arunachal Pradesh,

Islands

Meghalaya,

Andaman

Lakshadweep).

dependent on

workload

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Matriculation or equivalent pass from a recognised Board	Not applicable	Two years	Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government -  (a) holding analogous posts on regular basis; and  (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).	Not applicable	Departmental Promotion Committee (for considering selections or Confirmation) consisting of:  (i) Deputy Director General, Indian Council of World Affairs – Chairman,  (ii) Joint Secretary, Indian Council of World Affairs – Member,  (iii) Director, Ministry of External Affairs – Member.	Not Applicable

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. Library	2* (2017)	Group 'B'	Level 6	Not	Not exceeding 30 years
Assistant	* Subject to variation			applicable	(Relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
	dependent on workload				Note: The crucial date for determining the agelimit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh

	Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman
	Nicobar Islands or Lakshadweep).

C7								ands or Lakshadweep).		
Sesential: (i) Bachelor's Degree in Educational Library or Library you for Considering Science of a recognised University or Institute.   Semi-professional and Information Science of a recognised University or Or Recognised Or Public Sector Undertaking or University or Institute.   Semi-professional and Information Science of a recognised University or Institute.   Semi-professional Library Hormation Science of a recognised University or Institute.   Semi-professional Library Hormation Science of a recognised University or Institute.   Semi-professional Library Hormation Science of a recognised University or Institute.   Semi-professional and who possess the educational qualifications and experience of the Central Government or Autonomous or Public Sector Undertaking or University or Institute.   Semi-professional Library Hormation Science of a recognised University or Institute.   Semi-professional Library Hormation Science of a recognised University or Institute.   Semi-professional Library Hormation Science of a recognised University or Institute.   Semi-professional Library Hormation Science of a recognised University or Institute.   Semi-professional Library Hormation Science of a recognised University or Institute.   Semi-professional Library Hormation Science of a recognised University or Information Science of World Affairs - Central Government (ii) Deputation: Connect of World Affairs - Central Government (iii) Deputation: Connect of World Affairs - Central Government (iii) Deputation: Connect of World Affairs - Central Government (iii) Deputation: Connect of World Affairs - Central Government (iii) Deputation: Connect of World Affairs - Central Hormatic Connect of Indian Council of World Affairs - Central Government (iii) Deputation: Connect of Government (iii) De	(7)	(8)	(9)	(10)		(1	1)	(12)	(13)	
Onesmisstica	Essential:  (i) Bachelor's Degree in Library or Library and Information Science of a recognised University or Institute  (ii) Two years' professional experience in a Library under Central or State Government or Autonomous or Statutory Organisation or Public Sector Undertaking or University or Recognised Research or Educational Institution.  Desirable:  (i) Diploma in Computer Applications from a recognised University or	Age: No Educational Qualifications Yes	Two years for direct	(i) 50% promotion and (ii) 50% direct	by on;	Promotion Semi-proficion Library Information Assistant 4 in the Proficion with the service in who posseducation qualification experience prescribed direct under color to the proficers Central Government (a) (i) analagous regular base parent (a) analagous regular base parent (a) (ii) with regular ser grade rend appointment (b) posseducation appointment (b) posseducation aqualification experience prescribed recruits column (7) Note 1: deputation including deputation another post immediate preceding appointment appointment appointment (b) posseducation another post immediate preceding appointment appoi	fessional on in Level ay Matrix on years the grade ssess the hal higher for recruits holding posts on his in the cadre or at; or six years' rvice in the dered after on the cadre or at; and he cadre or at; and he cadre or he cadre held	Departmental Promotion Committee (for considering selection or confirmation) consisting of:- (i). Director General, Indian Council of World Affairs – Chairman, (ii). Deputy Director General, Indian Council of World Affairs – Member, (iii). Director, Ministry of External	Not	

	Central Government shall not exceed three years.  Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the last date of receipt of application.
--	--

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. Semi- professional Assistant (Library Information )	3* (2017)  * Subject to variation dependent on workload	Group 'C'	Level 4	Not applicable	Not applicable

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Essential: Bachelor's Degree in Library Science or Library and Information Science of a recognised University or Institute. Desirable: (i) Three years experience in the field of Library and Information Science; and (ii) Knowledge of computer and library software.	Not applicable	Two years	By direct recruitment	Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government - (a) holding analogous posts on regular basis; and (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).	Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :- (i) Deputy Director General, Indian Council of World Affairs – Chairman, (ii) Joint Secretary, Indian Council of World Affairs – Member, (iii) Director, Ministry of External Affairs – Member.	Not Applicable

AJANEESH KUMAR, Dy. Director General

[ADVT.-III/4/Exty./25/17]